XXXIX(a)BR(H)-11

<u>शंकरलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 209–दो/88

जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/79–80/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 20–7–1988 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) का धारा 50के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक शंकरलाल को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31–7–80 द्वारा सेवा से पृथक किए जाने का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31–3–1985 द्वारा निरस्त की । कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उनके द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पटवारी को सेवा से पृथक किए जाने के संबंध में है । आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया गया है कि पटवारी मृतक शंकरलाल पर अस्थाई गबन का आरोप सिद्ध है जो इतना गंभीर है कि उसके	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधार पर उसे जो दण्ड दिया गया है उसे अधिक नहीं कहा जा सकता और उक्त आधार पर उन्होंने कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

XXXIX(a)-BR(H)-11

पेशी 3/9/07

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. 203/3I-22 निगरानी

शंकर लाल .... अपीलार्थी

बनाम

म. प्र. शासन ..... रेस्पा.

कोर्ट II
7.2.07

वैध उत्तराधिकारीयों को रिकार्ड पर लाने बावत् आवेदन पत्र

श्रीमान्‌जी,

उपरोक्त प्रकरण मे अपीलांट श्री शंकर लाल पुत्र श्री मातादीन का स्वर्गवास दिनाँक 24.11.06 को हो गया है उनके वैध उत्तराधिकारी निम्नानुसार है कि :-

I.A (1)

1. श्रीमती विद्या देवी वेवा शंकर लाल
2. बृज किशोर पुत्र श्री शंकर लाल
3. नंद किशोर पुत्र श्री शंकर लाल
4. रवि कुमार पुत्र श्री शंकर लाल समस्त निवासीगण ग्राम मनेपुरा, तहसील- अटेर, जिला भिण्ड, (म. प्र.)

अतः यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्व. शंकर लाल के वैध उत्तराधिकारियों के नाम जानकारी के हिसाब से प्रस्तुत किये जा रहे है यदि अन्य कोई हो तो उनको भी पक्षकार बनाये जाने मे हमे कोई आपत्ती नही है । अतः उपरोक्त वैध उत्तराधिकारियों को प्रकरण मे रिकार्ड पर लाने की कृपा करें ।

दिनांक :- 7.2.07.

प्रार्थी
बृजकिशोर
द्वारा अभिभाषक
ओ. डी. शर्मा
एडवोकेट